




دائرة القضاء
JUDICIAL DEPARTMENT



المحكمة الابتدائية
كورت آف فست इंस्टेंस

أمر أداء
भुगतान के लिए आदेश



بيانات المدين देनदार का विवरण



देनदार का नाम اسم المدين



फ़ोन الهاتف



राष्ट्रीयता الجنسية



ई-मेल البريد الإلكتروني

العنوان

पता

एक से अधिक देनदार हैं يوجد مدينون آخرون



بيانات الدائن लेनदार का विवरण



लेनदार का नाम اسم الدائن



फ़ोन الهاتف



राष्ट्रीयता الجنسية



ई-मेल البريد الإلكتروني

العنوان

पता

العنوان المختار (إن وجد)

चयनित पता (यदि कोई हो)



قيمة المطالبة المالية؟
वित्तीय दावे का मूल्य?

رقم الشيك أو الفاتورة
कृपया चेक / चालान संख्या दर्ज करें

تاريخ استحقاق الشيك أو الفاتورة
चेक की नियत तारीख

رجاء اختيار ما هو أصل الدين
कृपया ऋण रूप चुनें

شيك
 चेक

فاتورة
 चालान

أخرى (يرجى تحديدها)
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

لا تنسى ارفاق صورة من المستند
अपने दस्तावेजों की एक फोटो संलग्न करना न भूलें





الوقائع وملخص النزاع آآके آآवे كآ ववरण

4

كृपया बरना लम्बाई, तथ्य और सरांश को संक्षेप में प्रस्तुत करें

برجى تلخىص وقائع النزاع دون اطالة

अनुच्छेद 144 के अनुसार अदालत में इस प्रपल को प्रस्तुत करने से कम से कम 5 दिन पहले ःणी को पंजीकृत मेल द्वारा देनदार को चेतावनी भेजना न भूलें।

لا تنسى إرسال إنذار للمدين عبر البريد المسجل المدين مع إمهاله 5 أيام على الأقل قبل تقديم هذا النموذج للمحكمة عملاً بالمادة (144)



नरुनलखरत आदेश देने के लिए अदालत से मैं अनुरोध करता हूँ:

التمس من سعادتكم اصدار أوامركم المستعجلة بالتالي:

मुकदमे की फ़ाइल और सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी भाषांतर के साथ संलग्न करना न भूलें यदि प्रतिवादी अरबी नहीं है

لا تنسى ارفاق ترجمة باللغة الانجليزية لصحيفة الدعوى ولكافة المرفقات المتعلقة بالقضية في حالة كان المدعى عليه لا يتحدث العربية



तारीख



التاريخ

हस्ताक्षर



التوقيع

आवेदक

المدعى



अध्याय ग्यारह: भुगतान के लिए आदेश

الباب الحادي عشر: أوامر الأداء

अनुच्छेद (143)

पहली बार में मामला को लाने वाले सामान्य नियमों से अपवाद के रूप में, निम्नलिखित लेखों में निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा, यदि ऋण लेनदार के कारण लिखित रूप में सिद्ध हो और भुगतान के लिए तुरंत हो, और अगर केवल एक चीज का वह दावा कर रहा है, वह निर्दिष्ट ऐसे या निर्दिष्ट राशि प्रकार ऋण है, और इन नियमों का पालन किया जाएगा, यदि अधिकार रखने वाला व्यक्ति एक वाणिज्यिक पत्र के तहत लेनदार है और इसकी वापसी रिजर्व के दराज, संपादक, रिसेवर या गारंटर तक सीमित है, यदि वह उपरोक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ संभोग करना चाहता है, तो उसे कार्यों को लाने के लिए सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए।

अनुच्छेद (144)

- लेनदार को पहले देनदार को कम से कम पांच दिन मिलने का निर्देश देना चाहिए, एक प्रदर्शन आदेश तब अदालत के न्यायाधीश द्वारा जारी किया जाता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऋणी अधिवासित है। प्रदर्शन के क्रम में आवश्यकता को पूरा करने का अधिकार कमीशन से कम नहीं हो सकता है, पहुँच के ज्ञान के साथ एक पंजीकृत पत्र द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, या किसी भी तरह से पार्टियों के बीच सहमति।
- प्रदर्शन का आदेश लेनदार द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर जारी किया जाएगा, जिसके साथ ऋण का बॉन्ड और उसकी निर्देश देना की प्राप्ति का प्रमाण भी होगा, और यह बॉन्ड मामला प्रबंधन कार्यालय में तब तक रहेगा जब तक शिकायत की तारीख बीत नहीं जाती।
- याचिका को दो समान प्रतियों में संपादित किया जाना चाहिए और इस कानून के अनुच्छेद (42) में प्रदान किए गए मुकदमा पत्र के विवरण शामिल हैं।
- याचिका की प्रस्तुत करने की तारीख से तीन दिनों के भीतर एक प्रति के ऊपर आईर लिख जाएगा और भुगतान की जाने वाली राशि का संचा देना चाहिए, या उनका प्रॉपर्टीज से वसूल करने का तरिका लिखना चाहिए, और यह भी लिखना है कि क्या यह एक वाणिज्यिक लेख में जारी किया गया है।
- उपरोक्त याचिका पर विचार किया जाएगा कि मामला दर्ज करने की तारीख से मामला दर्ज करने के प्रभाव का उत्पादन किया जाए, भले ही अदालत सक्षम न हो।

अनुच्छेद (145)

- यदि न्यायाधीश देखता है कि छाल ने उसके सभी अनुरोधों के लिए उत्तर नहीं दिया है या किसी अन्य कारण से आदेश जारी नहीं करना है, वह आदेश जारी करने से परहेज करेगा और सक्षम अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए निर्धारण करेगा। अदालत तब ऋणी को घोषित सल में पेश होने वाली याचिका के साथ घोषित सल में उसके समक्ष उपस्थित होने की घोषणा करेगी। शीघ्र प्रविष्टि के लिए आदेश को शामिल करने से इनकार इस लेख के प्रावधान में कुछ अनुप्रयोगों की अस्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा।
- फैसले के बाद भी कोई भी याचिकाकर्ता पुरस्कार के खिलाफ अपील नहीं कर सकता।

अनुच्छेद (146)

- ऋणी व्यक्ति को उसके देश में, उसके मूल देश या उसके व्यवसाय स्थान पर उसके आदेश के अनुसार उसे सूचित किया जाएगा।
- भुगतान के लिए जारी की गई याचिका और आदेश को मौजूदा नहीं माना जाएगा, अगर उन्हें आदेश जारी करने की तारीख से छह महीने के भीतर ऋणी को नहीं सूचित दिया गया है।

अनुच्छेद (147)

- ऋणी अपनी सूचित की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आदेश की अपील कर सकता है और ये शिकायत वो अदालत के सक्षम पेश कर सकते हैं जिस में ये मामला जारी है और मामले को लाने से पहले सामान्य प्रक्रियाएं होनी चाहिए और इसका तर्क दिया जाना चाहिए, शिकायतकर्ता को वादी के स्थान में माना जाता है, शिकायतों पर विचार करते समय, न्यायालय के नियमों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाएगा।
- निर्णयों की अपील के लिए स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार एक भुगतान आदेश की अपील की जा सकती है अपील की तारीख उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन शिकायत का समय समाप्त है।
- यदि आदेश को सीधे अपील की जाती है तो भिन्न अपील का अधिकार गिर जाएगा।

अनुच्छेद (148)

भुगतान के लिए एक आदेश और शिकायत में किए गए आदेश पर शीघ्र निष्पादन से संबंधित नियम लागू हो सकते हैं, जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद (149)

अनुच्छेद (143) के प्रावधान में, तीसरे पक्ष के हाथों में देनदार की संपत्ति पर कोई जब्ती लगाने की लेनदार को इच्छा रखता है तो लगाए जाने वाले अनुलग्नक में सामान्य प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा,

المادة (143)

استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

المادة (144)

- على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، أو بأية وسيلة متفق عليها بين الطرفين.
- يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في مكتب إدارة الدعوى إلى أن يمضي ميعاد التظلم.
- يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
- يجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أدائه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية.
- تعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة (145)

- إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعندئذٍ تقوم المحكمة بإعلان المدين بالحضور أمامها في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالتنفيذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.
- ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.

المادة (146)

- يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة والأمر الصادر ضده بالأداء.
- وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

المادة (147)

- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمامها ويجب أن يكون مسبباً، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة.
- ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.
- ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.

المادة (148)

تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالتنفيذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها القانون.

المادة (149)

إذا أراد الدائن في حكم المادة (143) توقيع حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.